-1.

(193)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

केम्प जबलपुर

अपील/2768/I/15

रा.अपील क.............../ दिनांकः–28.07.15

शांतिबाई पत्नि ज्ञानी लाल साहू
निवासी ग्राम बोरीपीपरदाही तह.
नैनपुर जिला मण्डला .... अपीलार्थी

विरूद्ध

समुनिया बाई पत्नि बहादुर साहू उम्र 90 वर्ष
निवासी ग्राम बोरीपीपरदाही तह.
नैनपुर जिला मण्डला .... उत्तरवादी

अपील अंतर्गत धारा 44 भू–राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन हैः–

अपीलार्थी माननीय अतिरिक्त कमिश्नर महोदय जबलपुर के आदेश दिनांक 19.06.2015 जिसका प्रकरण क. 415/16/11–12 से दुखित होकर निम्न विधिक एवं तथ्यों के आधार पर यह अपील प्रस्तुत कर रही है।

प्रकरण के तथ्यः–

1. यह कि, उत्तरवादिया की दो पुत्रियां है, 1. दुलारी बाई एवं 2. शांतिबाई अपीलार्थी।

2. यह कि, उत्तरवादिया को उसकी मायके पक्ष से 1.50 हे. भूमि खसरा नं. 259/3 रकवा 1.50 हे. बटवारा में मिली थी।

3. यह कि, उत्तरवादिया का कोई पुत्र नहीं था, इस कारण उसने अपनी उक्त भूमि में से 0.75 हे. भूमि अपनी बड़ी लड़की दुलारी बाई को हिस्से में दे दी जिसका दुलारी बाई अपने नाबालिग लड़कों के नाम रजिस्ट्री बयनामा करावा ली शेष आधी बची 0.75 हे. भूमि उत्तरवादिया के नाम में राजस्व अभिलेखों में चलता रहा।

R. 2768 - I/15 (मण्डला)

26.5.16	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। पिछली पेशी पर उनके अधिवक्ता उपस्थित थे। आवेदक एवं उनके अधिवक्ता को समय-समय पर आवाज लगवाई गई किन्तु भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण उनकी अनुपस्थिति में अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।

सदस्य

R/A4